संख्या-3988/9.1.2010.203सा/2010

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ.प्र. लखनऊ ।

2- समस्त नगर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

3- समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 7 दिसम्बर, 2010

विषय:- निकायों में दैनिक वेतन/संविदा/नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय निकायों द्वारा शासन के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत दैनिक वेतन/संविदा पर अभी भी नियुक्तियां/तैनाती की जा रही हैं, यह स्थिति नितान्त आपत्तिजनक है । अतः प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निकायों में दैनिक वेतन/संविदा पर नियुक्तियों को प्रतिबंधित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

2- उक्त संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि निकायों द्वारा किसी भी दशा में दैनिक वेतन/संविदा पर नियुक्तियां न की जायें। आवश्यकता होने की दशा में किसी कार्य विशेष हेतु केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्य संविदा ।वर्क कान्ट्रैक्ट। पर एक निश्चित अवधि के लिए कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा ऐसी दशा में कार्य संविदा की स्पष्ट शर्तें निर्धारित कर दी जायें ।

3- कृपया शासन के इन निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा । भवदीय,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि नगर विकास विभाग के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

विपिन कुमार त्रिपाठी